

—: परिपत्र :-

प्रायः यह देखने में आया है कि विभाग द्वारा करवाये जाने वाले विभिन्न कार्यों के निविदा दस्तावेजों में मुख्य मुख्य सामग्री के मूल्यों के प्रतिशत का आंकलन नहीं किया जाता है। इसके कारण एसकेलेशन की गणना में पारदर्शिता नहीं आ पाती है।

माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार विभागद्वारा करवाये जाने वाले विभिन्न कार्यों के कार्यादेशों के क्रियान्वयन में शीघ्रता, पारदर्शिता, मितव्ययता तथा दक्षता बढ़ाने की दिशा में प्रमुख शासन सचिव, सा० नि० वि० द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि निविदा दस्तावेज तैयार करते समय उसमें मुख्य मुख्य सामग्री यथा बिटुमिन, कांकीट, सीमेन्ट, स्टील, लोहा, ईट, पत्थर इत्यादि के मूल्यों का प्रतिशत दर्शाया जाए। जिससे एसकेलेशन की गणना में पारदर्शिता आ सकें।

(हजारी लाल मीणा)

मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव
सा० नि० वि० राज० जयपुर

प्रलिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- (1) विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री सा० नि० वि० राज० जयपुर।
- (2) निजी सहायक माननीय राज्य मंत्री सा० नि० वि० राज० जयपुर।
- (3) निजी सहायक प्रमुख शासन सचिव, सा० नि० वि० राज० जयपुर।
- (4) निजी सहायक सचिव, सा० नि० वि० राज० जयपुर।
- (5) निजी सहायक, मुख्य अभियन्ता (पथ/एस.एस./पीएमजीएसवाई/एन.एच.)
सा० नि० वि० राज० जयपुर।
- (6) अति० मुख्य अभियन्ता, सा० नि० वि० संभाग..... (समस्त)।
- (7) अधीक्षण अभियन्ता, सा० नि० वि० वृत्त(समस्त)।
- (8) अधिशाषी अभियन्ता, सा० नि० वि० खण्ड(समस्त)।

(हजारी लाल मीणा)

मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव
सा० नि० वि० राज० जयपुर